दिशानिर्देश और निर्देश

कारखाने के स्वामित्व में परिवर्तन

आवदक (आ) लाइसस क लिए बाड क आनलाइन egiccs पाटल याना http://egiccs.teaboard.gov.in/ क माध्यम स लाइसासग प्राधकरण का आवदन करगा।

आवदका स अनुराध ह कि व सभा आवश्यक दस्तावजा/सूचनाआ क साथ सभा प्रकार स पूण अपना आवदन जमा करन स पहल दिशा-निदशा/अनुदशा का पढ़ ल।

<u>जमा किए जाने वाले दस्तावेज</u>

1. चाय कारखान क पक्ष म टा बाड द्वारा जारा मूल पजाकरण प्रमाण पत्र या 100/- रु□□□□□□-न्यायिक स्टम्प पपर पर क्षतिपूति बान्ड पर विधिवत नाटराकृत जिसम यह लिखा गया कि चाय कारखान क पक्ष म जारा मूल पजाकरण प्रमाण पत्र (चाय कारखान का नाम) गु□/□□ □□ □□□□ □□ स्थित हा आर एतद्द्वारा यह पुष्ट का जाता ह कि उक्त प्रमाण पत्र बाद म मिलन का स्थित म टा बाड का साप दिया जाएगा।

2. कपना क ि - ममारडम एड आटिकल्स आफ एसासिएश □□□ सटिफिकट आफ इनकापारशन/पाटनरशिप फम क लिए- डाड आफ पाटनरशिप/प्रापराइटराशप फम क लिए: 100/- रुपय क □□-न्यायिक स्टम्प पपर पर एकल स्वामित्व का घाषणा विधिवत नाटराकृत।

3. पजाकृत विक्रय विलख/स्थानातरण विलख/न्यायालय आदश/पजाकृत पट्टा विलख प्रस्तुत किया जाना □□

(i) यदि सबधित राज्य सरकार क प्राधिकारिया स अनुमति प्राप्त न हान क कारण पजाकृत बिक्रा विलख/स्थानातरण विलख/न्यायालय आदश/पजाकृत पट्टा विलख निष्पादित नहा किया जाता ह, □□ □□□□ □□ (□) □□ 100/- रुपय □□□-न्यायिक स्टाम्प □□□ पर एक क्षतिपूति बाड जमा करना चाहिए जाकि कायकारा मजिस्ट्रट (प्रथम श्रणा) क समक्ष विधिवत पुष्ट किया गया ह कि कपना स्वामित्व क परिवतन स उत्पन्न विवाद क मामल म चाय बाड का क्षतिपूति करगा, बा) बि□ □ क लिए समझाता, विक्रता आर खरादार क बाच विधिवत नाटराकृत आर सा) क्रता द्वारा □-राजस्व क भुगतान का प्रमाण जमा करना चाहिए।

4. आवदन शुल्क रु. ,16,000/- (साथ हा जाएसटा) का भुगतान egiccs पाटल क माध्यम स आनलाइन किया जाना ह।

एन.बी:

1. स्वामित्व का परिवर्तन बोर्ड द्वारा किया जाएगा बशर्ते नीति के अनुसार बोर्ड के लिए बकाया □□ का भुगतान कर दिया गया है अथवा विक्रेता द्वारा संबंधित चाय कारखाने के लिए नियमित भुगतान किया जा रहा है। □□□सभी पंजीकृत चाय कारखाने □□क्रेता □□□ □□ स्वामित्व में हो।

2. उपरोक्त बिंदु संख्या 3(i) में उल्लिखित छूट केवल उन कारखानों (इस्टेट और बीएलएफ दोनों) के लिए लागू है जो सरकारी भूमि पर स्थित है और संबंधित राज्य सरकार के प्राधिकारियों से□□ अपेक्षित अनुमति है। अन्य सभी कारखानों (इस्टेट और बीएलएफ दोनों) के लिए उपरोक्त बिंदु संख्या 3 पर उल्लिखित दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

3. यह दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अब से, सभी आवेदन (नए और मौजूदा दोनों) □□ □□ दिशानिर्देश के अनुसार माने जाएंगे।